संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों (महाविद्यालयों) हेतु स्थानान्तरण नीति

1. विस्तार

यह नीति सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों (प्राचार्य एवं व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक एवं समकक्ष पद) पर लागू होगी।

2. स्थानान्तरण प्रक्रिया

संस्कृत शिक्षा विभाग में महाद्यालयों के शिक्षकों के समस्त संवर्गों के स्थानान्तरण इस नीति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा किये जावेंगे।

3. स्थानान्तरण कार्यक्रम

संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर/निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से समय–समय पर स्थानान्तरण कार्यक्रम जारी किया जावेगा। सामान्यतया स्थानान्तरण/पदोन्नति/पदस्थापन की कार्यवाही 01 अप्रेल से 30 जून तक सम्पादित की जायेगी। निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा स्थानान्तरण हेतु रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा एवं वर्तमान में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों एवं अनिवार्य स्थानान्तरण से रिक्त होने वाले पदो ंके आधार पर रिक्त पदों की समग्र सूची का प्रदर्शन विभागीय वैबसाइट एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा के कार्यालय में 01 अप्रेल से 15 अप्रेल के मध्य किया जाएगा। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षक द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा को अपना स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र दिनांक 16 अप्रेल से 30 अप्रेल के मध्य प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक द्वारा इस नीति के अनुसार अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण योग्य शिक्षक की सूची एवं स्वयं के प्रार्थना–पत्र पर स्थानान्तरण के प्रार्थना–पत्रों के परीक्षण के उपरान्त पात्रता अंकों का आवंटन कर वरीयता सूची का प्रकाशन दिनांक 01 मई से 15 मई के मध्य निदेशक कार्यालय एवं विभागीय वैब साईट पर किया जाएगा।

4. स्थानान्तरण आदेश

सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगे। सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी से तात्पर्य संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा/निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर से है ।

5. स्थानान्तरण/पदस्थापन कलैण्डर

क्र.सं.	पदस्थापन/स्थानान्तरण का प्रकार	समयावधि
1.	ए– विभाग में प्रथम नियुक्ति	सक्षम अधिकारी से चयन सूची विभाग में प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर
2.	बी– पदोन्नति पर पदस्थापन	पदोन्नति आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर
3.	सी– अनिवार्य स्थानान्तरण	1 अप्रेल से 30 जून
4.	डी– समानीकरण के लिए पदस्थापन/स्थानान्तरण	1 अप्रेल से 30 जून
5.	ई–स्वयं के प्रार्थना–पत्र पर पदस्थापन/स्थानान्तरण	1 अप्रेल से 30 जून

6. स्थानान्तरण के मानदण्ड

6.1. निम्न श्रेणी के शिक्षकों का स्थानान्तरण आवश्यक रूप से किया जायेगा –

(अ) जिनके द्वारा एक ही ग्राम/शहर में स्थित महाविद्यालय में 05 वर्ष की कार्यावधि वर्ष की 01 जुलाई को पूर्ण कर ली हो अथवा कर ली जावेगी। परन्तु जो शिक्षक आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृत हो रहे है, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(ब) ऐसे प्राचार्य/व्याख्याता जिनके महाविद्यालय में जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षा में उनके द्वारा शिक्षण करवाए जा रहे विषय में परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहा हो, तो उन्हें ''स' अथवा 'द' श्रेणी में स्थित ग्रामों के महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किया जावेगा।

6.2. महाविद्यालय में वर्ष की 1 जुलाई को 02 वर्ष की पदस्थापन अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.3. विषय शिक्षकों को उनके विषय के रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जायेगा।

6.4. एन.सी.सी. ऑफिसर के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को यथासम्भव एन.सी.सी यूनिट वाले महाविद्यालय में ही पदस्थापित किया जायेगा। यदि एन.सी.सी. यूनिट वाले महाविद्यालय में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे शिक्षकों को एन.सी.सी. यूनिट रहित महाविद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकेगा ताकि वे उक्त महाविद्यालयों में नवीन एन.सी.सी. यूनिट प्रारम्भ कर सकें।

6.5 सभी संवर्गों के नवीन पदस्थापित शिक्षक जिन्हें पदस्थापन की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं वे स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रतिबंधित जिलों में नवीन पदस्थापित शिक्षक, जिन्हें पदस्थापन की तिथि से पॉच वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

6.6. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा तथा इनकी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था में भी शहरी क्षेत्र में पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

6.7 वरीयता निर्धारण हेतु पात्रता अंकों के आवंटन के पश्चात् यदि शिक्षकों के अंक बराबर हों, तो महाविद्यालय में अधिक समय से पदस्थापन (Longest Stay) वाले शिक्षक को स्थानान्तरित किया जाएगा।

6.8 प्रतिबंधित जिलों में रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत पदों के 25% से अधिक होने पर इन जिलों से अन्तर्जिला स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

7. वरियता निर्धारण हेतु पात्रता अंकों का आवंटन

7.1. सामान्य पात्रता अंक–

7.1.1 स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों को निम्नानुसार पात्रता अंक आंवटित किये जायेंगे –

(अ) स्थान के आधार पर गत 05 वर्षों में महाविद्यालयों में 01 जुलाई को पूर्ण की गई सेवा अवधि हेतु–

(i). 'द' श्रेणी स्थानों में स्थित महाविद्यालय के लिये 5 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(ii).'स' श्रेणी स्थानों में स्थित महाविद्यालय के लिये 3 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(iii).'ब' श्रेणी स्थानों में स्थित महाविद्यालय के लिये 2 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(iv). अ' श्रेणी स्थानों में स्थित महाविद्यालय के लिये 1 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

नोट– (अ) यदि कोई शिक्षक गत 05 वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो उसे उन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्थान की श्रेणी के आधार पर अंक देय होंगे।

(ब) वर्ष की 01 जुलाई को शिक्षक द्वारा महाविद्यालय संवर्ग की सेवा में पूर्ण की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिये 0.5 अंक प्रदान किये जायेंगे।

7.1.2. ग्राम/शहर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे –

(i)'अ' श्रेणी– जिला मुख्यालय एवं 50000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर एवं उनके 08 किमी परिधि क्षेत्र में स्थित ग्राम।

(ii) ब' श्रेणी– 50000 तक की जनसंख्या वाले शहर (नगरपालिका/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय) एवं उनके 08 किमी परिधि क्षेत्र में स्थित ग्राम।

(iii)'स' श्रेणी– शहर/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय से 08 किमी से अधिक एवं 20 किमी दूरी तक स्थित सड़क से जुड़े 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम।

(iv) 'द' श्रेणी– शेष ग्राम जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हों।

7.1.3.जिले के समस्त शहरों एवं ग्रामों का उपरोक्त अ, ब, स, द श्रेणीवार विभाजन निदेशालय, संस्कृत शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

- निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त शहर व ग्रामों की श्रेणीवार सूची तैयार की जायेगी
- इस संबंध में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण भी निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

7.2. विशेष पात्रता अंक (अतिरिक्त अंक)

(अ) अविवाहित/एकल महिला शिक्षक को 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ब) शिक्षक जिसका पति/पत्नि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय में कर्मचारी हो एवं वह उसके पदस्थापन स्थान या उसके निकट स्थानान्तरण चाहता है/चाहती है तो उसे 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(स) राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 5 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(द) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर शोध–पत्र लेखन/वाचन करने वाले शिक्षकों को 05 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(i) प्राचार्य/व्याख्याता को जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गत 5 वर्षों के परीक्षा परिणाम के आधार पर निम्नानुसार अंक देय होंगे :–

(ii) 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम आने पर 5 अंक

(iii) 91 से 99 प्रतिशत परीक्षा परिणाम आने पर 4 अंक

(iv) 81 से 90 प्रतिशत परीक्षा परिणाम आने पर 2 अंक

(v) 80 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम आने पर कोई अंक देय नहीं होगा।

(य) सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक के एपीएआर/एसीआर में असंतोषप्रद अभियुक्ति दिए जाने पर – 5 अंक एवं उत्कृष्ट अभियुक्ति दिए जाने पर + 5 अंक देय होंगे।

(र) सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान यह रिपोर्ट दी जाती है कि शिक्षक की उपस्थिति अनियमित पाई जाती है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया गया है, तो शिक्षक को आवंटित अंकों में से 10 अंक कम किये जायेंगे।

8. विशेष श्रेणी

पात्रता अंको के अभाव में भी निम्न श्रेणी के शिक्षक को स्थानान्तरण वरियता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी–

(अ) 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग।

(ब) विधवा।

(स) परित्यक्ता (कानूनी रूप से विवाह विच्छेद शुदा अध्यापिका)।

(द) निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित अध्यापक।

(i) कैन्सर।

(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण।

(iii) हृदय शल्य चिकित्सा।

(iv) neuro surgery

(य) जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचाररत हो।

(र) जिनके बच्चों के दिल में छिद्र एवं ब्रेन टयूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।

नोट 1 : उपरोक्त अ, द, य, र के संबंध में प्रार्थना–पत्र के साथ सक्षम मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया जायेगा (जो जिला/राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया जायेगा/द्वारा प्रमाणित किया जायेगा)।

नोट 2 : विशेष श्रेणी के शिक्षकों को उपरोक्त क्रमानुसार ही प्राथमिकता दी जायेगी एवं श्रेणी विशेष में वरियता पात्रता अंकों के आधार पर दी जायेगी। यदि पात्रता अंक भी समान है तो शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। वरिष्ठता समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु के शिक्षक को वरियता में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी साथ ही जो शिक्षक शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में चयनित हुए हैं एवं उनकी सेवा पुस्तिका में उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो उन्हें स्थानान्तरण हेतु नवीन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।

9. रिक्त स्थानों का निर्धारण एवं प्रकाशन

9.1. स्थानान्तरण हेतु रिक्तियों का प्रकाशन निम्नानुसार किया जायेगा–

(i) वर्तमान में स्पष्ट रूप से रिक्त पद।

(ii) नीति के बिन्दू सं. 6.1 के अनुसार आवश्यक स्थानान्तरण से होने वाले रिक्त पद।

(iii) स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान रिक्त होने वाले पद प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित किये जायेंगे।

9.2. सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् रिक्त स्थानों का प्रकाशन करेगा।

10. रिक्त पदों एवं वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

10.1. निम्न सूचियाँ विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा के कार्यालय में प्रदर्शित की जावेगी–

(i) श्रेणीवार (श्रेणी अ,ब,स,द) महाविद्यालयों की सूची।

(ii) भरे जाने वाले महाविद्यालयवार रिक्त पदों की सूची।

(iii) स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों की पात्रता अंक सहित पात्रता अंकों के आधार पर वरियता सूची।

10.2. स्थानान्तरण आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् पात्रता अंकों के अनुसार, संवर्गवार (प्राचार्य, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक) एवं विषयवार वरियता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी।

11. ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र

11.1 जो शिक्षक बिन्दू सं.–6 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र है वे स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियाँ अंतिम होगी एवं उन्हें बाद में संशोधित नहीं किया जा सकेगा।

11.2 आवेदनकर्त्ता अपने आवेदन पत्र का वेबसाईट से प्रिंट लेकर, हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

11.3 जो आवेदनकर्त्ता विशेष श्रेणी/पति–पत्नि श्रेणी में आवेदन करता है तो उसे प्रार्थना–पत्र के साथ सुसंगत प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, संलग्न करना आवश्यक है।

11.4 जो शिक्षक बिन्दू सं.– 6.1 के अन्तर्गत आते है उनका आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जायेगा। उक्त शिक्षकों हेतु ऑन लाईन आवेदन की बाध्यता नहीं होगी

12. आपत्तियाँ प्राप्त करना एवं उनका निस्तारण

12.1. बिन्दू सं. 9 के अन्तर्गत प्रकाशित वरियता सूची एवं पात्रता अंकों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उसे ऑनलाईन या लिखित में निदेशक संस्कृत शिक्षा को प्रमाण सहित निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत किया जावेगा।

12.2. निदेशक संस्कृत शिक्षा जाँच करवा कर आपत्तियों का निस्तारण करेगे एवं यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो तद्नुसार पात्रता अंकों एवं वरियता सूची में संशोधन कर संशोधित वरिष्ठता सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. स्थानान्तरण आदेश जारी करना

13.1. सक्षम प्राधिकारी /अधिकारी श्रेणीवार सभी पात्र शिक्षकों के एक साथ स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा। प्रत्येक शिक्षक हेतु पृथक–पृथक आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।

13.2. समस्त स्थानान्तरण आदेश वेबसाईट एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शित किये जायेंगे।

14. अपील

निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को 10 दिवस में अपील की जा सकेगी। अपील का निस्तारण 30 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15. राज्य सरकार के अधिकार

15.1 रिविजन

राज्य सरकार/प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या अपनी ओर से (sou-moto) स्वयं को संतुष्ट करने के लिये स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्रावली मंगवा सकेंगे। यदि राज्य सरकार/ प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा को यह प्रतीत होता है कि ऐसी कार्यवाही विवरण/सिफारिशें स्थानान्तरण नीति अनुसार नहीं है तो वह उन्हें पुनःरीक्षित (revised), संशोधित (modify), रद्द/निरस्त कर सकेगा या निर्देशों के साथ त्रुटि ठीक करने हेतु सक्षम अधिकारी को भेज सकेगे। ऐसे आदेशों की पालना सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जावेगी।

15.2 गलत सूचना देने या नीति विरूद्ध कार्य करने पर दण्ड

15.2.1 किसी भी शिक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थानान्तरण आवेदन–पत्र में गलत सूचना एवं प्रमाण–पत्र देने पर एवं ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत सूचना प्रमाणित की है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

15.2.2 स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा यदि नीति विरूद्ध स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाते हैं तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

15.3 राज्य सरकार गम्भीर शिकायत पर प्राथमिक जाँच पश्चात् कारण स्पष्ट करते हुये प्रशासनिक कारणों से शिक्षक का स्थानान्तरण कर सकेगी।

15.4 इस स्थानान्तरण नीति में राज्यहित में समय–समय पर संशोधन करने का विशेषाधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।

****